मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

पीठासीनः चंद्रोदय कुमार, एच.जे.एस.

पंजीकरण दिनाँक: 08/27/18 निर्णय दिनाँक: 01/15/21 अवधि: 2 वर्ष, 4 माह, 19 दिन

एम.ए.सी.पी. संख्या- ३४७/२०१८

दिनेश कुमार यादव पुत्र वीर सिंह यादव उम्र २७ वर्ष नि. ग्राम कुम्हर्रा तहसील ओरछा जिला टीकमगढ़, म.प्र.

--------याची

प्रति

१. राम सिंह गुर्जर पुत्र सुम्मेर सिंह गुर्जर निवासी जगन्नाथ महादेव टेम्पल आनन्द, आनन्द गुजरात

.........मालिक ट्रक सं. जी जे २३ वाई ०३३९

२. महेन्द्र पुत्र जीवन निवासी मोहल्ला कटरा बाजार समथर जिला झाँसी

........चालक ट्रक नं. जी जे २३ वाई ०३३९

३. चोलामण्डलम जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लि. आनन्द गुजरात

......बीमा कम्पनी ट्रक जी जे २३ वाई ०३३९

-------विपक्षीगण

याची के अधिवक्ता- श्री अशोक कुमार अग्रवाल
विपक्षीगण सं. १ व २ के अधिवक्ता- एक पक्षीय कार्यवाही अग्रसारित
विपक्षी सं. ३ के अधिवक्ता- श्री सुनील शुक्ला

निर्णय

प्रस्तुत याचिका याची दिनेश कुमार द्वारा मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम की धारा १६६ व १४० के अन्तर्गत कथित मोटर वाहन दुर्घटना में याची को आयी चोटों के कारण ₹ ८,३०,००० क्षतिपूर्ति दिलाये जाने हेतु विपक्षीगण के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

२. संक्षेप में प्रकरण यह है कि याची दिनाँक १९.०६.२०१८ को ट्रक सं. ९३ बी टी ५००७ पर चालक था और वह अपने ट्रक को सावधानी पूर्वक चलाता हुआ झाँसी से हरदोई ले जा रहा था। जैसे ही उक्त ट्रक पारीछा पुल के पास पहुँचा, पारीछा पुल पर कुछ फॅसने की आवाज सुनाई दी तब याची ने पारीछा पुल पर साइड में गाड़ी खड़ी करके गाड़ी को चेक किया तो पाया कि दो टायरों के बीच गिट्टी फॅसी होने के कारण आवाज आ रही है। तब याची गिट्टी निकालने लगा, उसी समय पीछे से ट्रक सं. जी जे २३ वाई ०३३९ के चालक ने लापरवाही से कण्डक्टर साइड से जोर से टक्कर मार दी जिससे याची दिनेश कुमार के बांये पैर की जांघ में फ्रैक्चर एवं गम्भीर चोटें आई। याची को तुरन्त मेडिकल कॉलेज, झाँसी ले जाया गया जहाँ वह २४ घंटे भर्ती रहा। घटना के वक्त दोपहर के ३:०० बजे थे। मेडिकल कॉलेज में इलाज सही न होने की वजह से याची को दिनाँक २०.०६.२०१८ को शीला मल्टी हॉस्पिटल, झाँसी में भर्ती कराया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसके बांये पैर की जांघ का ऑपरेशन करके रॉड डाली और बांये पैर के घुटने के नीचे छिले हुये घाव की लगातार ड्रेसिंग चलती रही व दांये पैर के तलवे में घाव का इलाज चलता रहा तथा दिनाँक २६.०६.२०१८ को उसे डिस्चार्ज कर दिया। डिस्चार्ज होने के बाद उसे कई बार उक्त अस्पताल में दिखाने आना पड़ा व कई बार एक्स-रे हुये। याची का बांया पैर बिल्कुल बेकार हो गया और वह भविष्य में कभी भी ट्रक नहीं चला पायेगा। घटना की रिपोर्ट थाना बड़ागॉव में दर्ज हुई थी।

३. विपक्षी सं. १ राम सिंह गुर्जर व विपक्षी सं. २ महेन्द्र, जो क्रमशः प्रश्नगत ट्रक नं. जी जे २३ वाई ०३३९ के पंजीकृत स्वामी व चालक हैं, वे पर्याप्त तामीली के बावजूद न्यायाधिकरण में उपस्थित नहीं आये और न ही उनकी ओर से कोई जवाबदावा दाखिल किया गया अतः न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनाँकित ०८.०५.२०१९ के अनुसार विपक्षी सं. १ व २ के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अग्रसारित की गई।

४. विपक्षी सं. ३ चोलामण्डलम एम. एस. ज. इं. कं. लि. की ओर से १६बी जवाबदावा दाखिल किया गया है, जिसमें उन्होंने याची की याचिका के कथनों से इन्कार करते हुये मुख्य रूप से यह कथन किये हैं कि तथाकथित ट्रक नं. जी जे २३ वाई ०३३९ से कोई दुर्घटना नहीं हुई है न ही उक्त वाहन दुर्घटना में लिप्त था। याचिका के अनुसार उक्त दुर्घटना ट्रक नं. यू.पी. ९३ बी टी ५००७ व ट्रक न. जी जे २३ वाई ०३३९ के मध्य घटित होना दर्शाई गई है इसलिए यह योगदायी उपेक्षा का वाद है। ट्रक नं. यू.पी. ९३ बी टी ५००७ व ट्रक सं. जी जे २३ वाई ०३३९ के चालकों के पास वैध व प्रभावी ड्राईविंग लाइसेंस नहीं थे इसलिए बीमा कम्पनी का क्षतिपूर्ति अदा किये जाने का कोई उत्तरदायित्व नहीं है। विपक्षी बीमा कम्पनी का उत्तरदायित्व ट्रक सं. जी जे २३ वाई ०३३९ की बीमा पॉलिसी में दिये गये प्राविधानों व शर्तो के नियमानुसार होता है अन्यथा नहीं।

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2021.01.15 12:27:11 IST
Reason: Presiding Officer
Location: Motor Accident Claim Tribunal Jhansi

५. उभय पक्ष के अभिवचनों के आधार पर दिनाँक ०२.०८.२०१९ को निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये गयेः-

१. क्या याची घटना दिनाँक १९.०६.२०१८ समय दोपहर के ३:०० बजे यू.पी. ९३ बी टी ५००७ पर चालक था और अपने ट्रक को सावधानी पूर्वक चलाता हुआ झाँसी से हरदोई जा रहा था जैसे ही उक्त ट्रक पारीछा पुल के पास पहुँचा, तो उसे कुछ फंसने की आवाज सुनाई दी तब याची ने साइड में गाड़ी खड़ी करके, गाड़ी को चेक करने लगा, तो उसने पाया कि दो टायरों के बीच गिट्टी फँसी होने के कारण आवाज आ रही है तब वह गिट्टी निकालने लगा उसी समय पीछे वाहन ट्रक नं. जी.जे.२३ वाई ०३३९ के चालक ने लापरवाही से पीछे से कण्डक्टर साइड से जोर से टक्कर मार दी, जिससे याची दिनेश कुमार के बांये पैर की जांघ में फ्रैक्चर एवं गम्भीर चोटें आयी ?

२. क्या दुर्घटनाग्रस्त वाहन के चालक के पास दुर्घटना के समय वैध व प्रभावी ड्राइविंग लाइसेन्स था ? यदि हाँ तो उसके प्रभाव ?

३. क्या दुर्घटनाग्रस्त वाहन दुर्घटना के समय बीमा कम्पनी के यहाँ विधिवत रूप से बीमित था ? यदि हाँ तो उसका प्रभाव ?

४. क्या उक्त दुर्घटना वाहन चालकों की संयुक्त उपेक्षा के फलस्वरूप घटित हुई है ? यदि हाँ तो उसका प्रभाव ?

५. क्या याची की याचिका आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन के दोष से बाधित है ?

६. क्या याची कोई क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकारी है, यदि हाँ तो कितनी व किस विपक्षी से ?

७. अन्य अनुतोष ?

६. पक्षकारों की ओर से निम्न लिखित अभिलेखीय व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैंः-

याची की ओर से-

<u>अभिलेखीय साक्ष्य-</u>

१. फेहरिस्त ७ सी१ से ८सी१ लगायत १२सी१ प्रपत्र दाखिल किये गये हैं, जिनमें प्रथम सूचना रिपोर्ट, चोट प्रपत्र, रजिस्ट्रेशन, बीमा पॉलिसी व आधार कार्ड की छाया प्रतियाॅ शामिल हैं।

२. फेहरिस्त १९सी१ से २०सी१ असल डाक रसीदें, २१सी१ व २२सी१ ट्रैक कन्साइनमेन्ट रसीदें दाखिल की हैं।

३. फेहरिस्त २४सी१ से २५सी१/१ लगायत २९सी१/२३ प्रपत्र दाखिल किये गये हैं, जिनमें आरोपपत्र, नक्शा नजरी, इंजरी रिपोर्ट, बिल, डिस्चार्ज कार्ड की सत्यप्रतिलिपियाॅ व असल पर्चे व असल दवाओं के बिल आदि शामिल हैं।

<u>मौखिक साक्ष्य-</u>

पी.डब्लू.१ दिनेश कुमार याची स्वयं

विपक्षीगण की ओर से -

<u>अभिलेखीय साक्ष्य-</u>

विपक्षी सं.३ बीमा कम्पनी की ओर से फैरिस्त ४३ सी१ से ४४सी१/१ लगायत४४ सी१/१६ बिलों की सत्यापन आख्या

<u>मौखिक साक्ष्य-</u>

विपक्षीगण की ओर से कोई मौखिक साक्ष्य दाखिल नहीं है।

<u>**अन्य अभिलेखीय साक्ष्य**</u>

१. इसके अतिरिक्त पत्रावली पर अजय नायक कनिष्ठ सहायक, मेडिकल कॉलेज, झाँसी द्वारा फेहरिस्त ३३सी१ से ३४सी१/१ लगायत ३४सी१२ व ३५सी१ प्रपत्र दाखिल किये गये हैं, जिनमें याची दिनेश कुमार चुटैल का असल भर्ती रिकॉर्ड बी.एच.टी. नं. १९६५७ व इंजरी रिपोर्ट की छाया प्रतियाँ शामिल हैं,

२. सत्येन्द्र कुमार रेडियोलॉजी विभाग महारानी ल. बा. मेडिकल कॉलेज, झाँसी द्वारा फेहरिस्त ३६सी१ से ३७सी१ याची की एक्स-रे रिपोर्ट व ३८सी१ एक्स-रे प्लेट दाखिल किये गये हैं।

७. मैंने वर्चुअल कोर्ट में याची की ओर से उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता व विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी की बहस सुनी एवं पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया तथा उपलब्ध साक्ष्य का मूल्यांकन किया। विपक्षी सं. १ व २ की ओर से दौरान बहस भी कोई उपस्थित नहीं हुआ।

८. <u>**निस्तारण वाद बिन्दु सं. १ व ४**</u>

वाद बिन्दु सं. १ व ४ दोनों वाहनों की उपेक्षा व योगदायी उपेक्षा से संबंधित हैं अतः सुविधा की दृष्टि से दोनो का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। वाद बिन्दु सं. १ को साबित करने को साबित करने का भार याची पर है तथा वाद बिंदु सं. ४ को साबित करने को साबित करने का भार प्रतिपक्षीगण पर है। याची की ओर से ८सी१/१ लगायत ८सी१/२ प्रथम सूचना रिपोर्ट की छाया प्रति, २५सी१/१ लगायत २५सी१/४ आरोप पत्र, २६सी१/१ लगायत २६सी१/२सी१ महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज, झाँसी की याची का चोट प्रपत्र व २७ सी१/१ लगायत

२७सी१/२ नक्शा नजरी की सत्य प्रतिलिपियाँ, दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किये गये हैं तथा मौखिक साक्ष्य में पी.डब्लू.१ के रूप में दिनेश कुमार याची स्वयं, जिसे कि दुर्घटना में चोटें आयी हैं, को परीक्षित कराया गया है। पी.डब्लू.१ ने अपनी मुख्य परीक्षा में याचिका के कथनों का समर्थन करते हुये कथन किया है कि दिनाँक १९.०६.२०१८ को वह ट्रक नं. यू.पी. ९३ बी टी ५००७ पर चालक था। वह झाँसी से हरदोई जा रहा था, जैसे ही उसकी गाड़ी पारीछा पुल पर पहुँची तो गाड़ी साइड से आवाज आयी, तो उसने गाड़ी को अपनी साइड पर रोक दिया और टायरों की गिट्टी चैक करने लगा। उसने देखा कि टायर में पत्थर फॅसा हुआ है। इतने में समय करीब ३ बजे दिन एक ट्रक सं. जी जे २३ वाई ०३३९ का चालक तेजी व लापरवाही से चलाकर पीछे से आया और उसे टक्कर मार दी जिससे उसके बांये पैर पर ट्रक का पहिया चढ़ गया था जिससे वह गम्भीर रूप से घायल हो गया। पी.डब्लू. १ से कोई प्रतिपरीक्षा नही की गई है।

९. ८सी१/१ लगायत ८सी१/२ प्रथम सूचना रिपोर्ट की छाया प्रति के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत दुघर्टना के प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट याची के भाई द्वारा दिनाँक १९.०६.२०१८ की घटना की रिपोर्ट दिनाँक २१.०६.२०१८ को ट्रक सं. जी जे २३ वाई ०३३९ के चालक के विरूद्ध अंकित कराई है जिसे दर्ज कराने में लगभग १ दिन का बिलंब है। इसी प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना की दिनाँक २०.०६.२०१८ है किन्तु वादी द्वारा जो तहरीर दी गयी है उसमें घटना की दिनाँक १९.०६.२०१८ ही अंकित है अतः त्रुटिवश प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना की दिनाँक २०.०६.२०१८ अंकित हुई है। २५सी१/१ लगायत २५सी१/४ आरोप पत्र की सत्य प्रतिलिपि के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण की उपरोक्त घटना में विवेचक ने महेन्द्र (विपक्षी सं.२) प्रश्नगत ट्रक सं. जी जे २३ वाई ०३३९ के चालक के ही विरूद्ध संबंधित धाराओं में आरोपपत्र दाखिल किया है। २६सी१/१ लगायत २६सी१/२सी१ महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज, झाँसी की याची के चोट प्रपत्र की प्रमाणित प्रति में दिनाँक १९.०६.२०१८ को ५:०० बजे संबंधित चिकित्सक द्वारा याची का परीक्षण किया जाना अंकित किया है तथा उसमें चोटों का विवरण दिया गया है व उसमें आर.टी.ए. का उल्लेख है। विधि व्यवस्था **रवि बनाम बद्रीनारायण व अन्य (18.02.2011-SC): MANU/SC/0133/2011** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अवधारित किया है कि मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति के दावे के लिए एफ.आई.आर. निश्चित रूप से दुर्घटना के तथ्य को साबित करती है, जिससे कि पीड़ित क्षतिपूर्ति के लिये एक मामले को दर्ज करने में सक्षम है लेकिन ऐसा करने में देरी दावे को खारिज करने का मुख्य आधार नहीं हो सकती है। घटनाओं के संचयी प्रभाव को आंका जाना है। [पैरा -२० और २१] प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने में जो लगभग १ दिन का बिलम्ब हुआ है वह याची को दुर्घटना में आई चोटों को देखते हुये स्वभाविक है।

१०. विपक्षी संख्या १ व २ प्रस्तुत याचिका में उपिस्थित नहीं हुये हैं और न ही उनकी ओर से कोई जवाबदावा दाखिल कर प्रतिवाद किया गया है। जबकि विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी ने अपने जवाबदावा में कथन किया है कि तथाकथित ट्रक सं. जी जे २३ वाई ०३३९ से कोई दुर्घटना नहीं हुई है न ही उक्त वाहन दुर्घटना में लिप्त था। विपक्षी बीमा कम्पनी का यह भी कथन है कि याचिका में वर्णित कथनानुसार उक्त दुर्घटना ट्रक नं. यू.पी. ९३ बी टी ५००७ व ट्रक नं. ट्रक सं. जी जे २३ वाई ०३३९ के मध्य घटित होना दर्शाई गई है इसलिए यह योगदायी उपेक्षा का वाद है। किन्तु विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी की ओर से अपने उक्त कथनों के समर्थन में कोई अभिलेखीय/मौखिक साक्ष्य अथवा अन्वेषक आख्या प्रस्तुत नहीं की गई है जबकि याची की ओर से दाखिल **नक्शा नजरी** के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ट्रक नं. ट्रक सं. जी जे २३ वाई ०३३९ के चालक ने याची के खड़े ट्रक नं. यू.पी. ९३ बी टी ५००७ में पीछे से टक्कर मारना दर्शाया गया है जिसका समर्थन याची की मौखिक साक्ष्य व अन्य साक्ष्य से भी होता है अतः योगदायी उपेक्षा का मामला नहीं बनता है। इस प्रकार प्रथम सूचना रिपोर्ट व याचिका में वर्णित तथ्य व याची की मौखिक साक्ष्य के अवलोकन से विपक्षीगण के इस कथन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है कि प्रस्तुत प्रकरण में कथित दुर्घटना नही हुई या प्रस्तुत दुर्घटना में ट्रक सं. जी जे २३ वाई ०३३९ के चालक की तेजी व लापरवाही से उक्त दुर्घटना घटित नहीं हुयी है। विधि व्यवस्था **अर्चित सैनी व अन्य बनाम द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड व अन्य (09.02. 2018-S.C): MANU/SC/ 0105/2018** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया गया है कि मोटर दुर्घटना से संबंधित मामले में दावेदारों को मामले में इतनी यात्रा की आवश्यकता नहीं है जितनी कि एक आपराधिक मुकदमें में। न्यायालय को इस अंतर को ध्यान में रखना चाहिए। एक विशेष बस द्वारा एक विशेष ढंग से दुर्घटना कारित किए जाने को सख्त सबूत द्वारा साबित किया जाना दावेदारों के लिये संभव नहीं है। दावेदारों को केवल अधिसंभाव्यता की प्रबलता की कसौटी पर अपना मामला स्थापित करना था। उचित संदेह से परे प्रमाण का मानक नहीं हो सकता था।

११. उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर मैं इस निष्कर्ष का हूँ कि दिनाँक १९.०६.२०१८ समय दोपहर के ३:०० बजे यू.पी. ९३ बी टी ५००७ पर चालक था और अपने ट्रक को सावधानी पूर्वक चलाता हुआ झाँसी से हरदोई जा रहा था जैसे ही उक्त ट्रक पारीछा पुल के पास पहुँचा, तो उसे कुछ फॅसने की आवाज सुनाई दी तब याची ने साइड में गाड़ी खड़ी करके, गाड़ी को चेक करने लगा, तो उसने पाया कि दो टायरों के बीच गिट्टी फॅसी होने के कारण आवाज आ रही है तब वह गिट्टी निकालने लगा उसी समय पीछे से वाहन ट्रक सं. जी जे २३ वाई ०३३९ के चालक ने लापरवाही से जोर से टक्कर मार दी, जिससे याची दिनेश कुमार के बांये पैर की जांघ में फ्रैक्चर एवं गम्भीर चोटें आयी तथा उक्त दुर्घटना वाहन चालकों की संयुक्त उपेक्षा के फलस्वरूप घटित नहीं हुई है। तदनुसार वाद बिन्दु सं. १ सकारात्मक रूप से व वाद बिन्दु सं. ४ नकारात्मक रूप से निर्णीत किये जाते है।

१२. <u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या २</u>

वाद बिन्दु सं. २ दुर्घटनाकारी वाहन के चालक के पास दुर्घटना के समय वैध व प्रभावी ड्राईविंग लाइसेन्स होने के सम्बन्ध है। इस वाद बिन्दु के सम्बन्ध में पत्रावली पर याची या विपक्षीगण की ओर से प्रश्नगत ट्रक सं. जी जे २३ वाई ०३३९ के चालक महेन्द्र विपक्षी सं. २ के चालक लाईसेंस की प्रति दाखिल नहीं की गई है। प्रस्तुत याचिका में प्रश्नगत ट्रक सं. जी जे २३ वाई ०३३९ के पंजीकृत स्वामी व चालक क्रमशः विपक्षी सं. १ राम सिंह गुर्जर व विपक्षी सं. २ महेन्द्र के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अग्रसारित की गई है तथा उनकी ओर से इस याचिका में प्रतिवाद नहीं किया जा रहा है। अतः साक्ष्य के अभाव में यह धारित किया जाता है कि दुर्घटना के समय दुर्घटनाकारी वाहन के चालक के पास वैध व प्रभावी ड्राइविंग लाइसेन्स नही था। वाद बिन्दु सं. २ तदनुसार नकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

१३. <u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या ३</u>

इस वाद बिन्दु के सम्बन्ध में पत्रावली पर याची की ओर से प्रपत्र सं. १०सी१ ट्रक सं. जी जे २३ वाई ०३३९ का रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र व इसी वाहन की बीमा पॉलिसी की छाया प्रति दाखिल की गयी है। इस प्रपत्र का खंडन बीमा कम्पनी की ओर से नही किया जा सका है। इस पॉलिसी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह वाहन दिनाँक ०६.०९.२०१७ से ०५.०९.२०१८ तक विपक्षी सं. ३ से बीमित है। दुर्घटना दिनाँक १९.०६.२०१८ की है। उक्त से यह स्पष्ट है कि उक्त वाहन प्रश्नगत दुर्घटना के समय विपक्षी सं. ३ से बीमित बीमित था। वाद बिन्दु सं. ३ तदनुसार सकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

१४. <u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या ५</u>

यह वाद बिन्दु याचिका में आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन के दोष से बाधित होने के संबंध में है, किन्तु दौरान बहस याचीगण व विपक्षी बीमा कम्पनी की ओर से इस वाद बिन्दु पर बल नहीं दिया गया है। तदनुसार वाद बिन्दु स. ५ याचीगण व विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी की ओर से बल न देने के आधार पर नकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

१५. <u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या ६ व ७</u>

उपरोक्त दोनों वाद बिन्दु अनुतोष से संबंधित हैं। वाद बिन्दु सं. १ व ४ के निस्तारण से यह साबित है कि दिनाँक १९.०६.२०१८ को ट्रक सं. जी जे २३ वाई ०३३९ के चालक द्वारा ट्रक को लापरवाही से चलाकर टक्कर मार देने से याची दिनेश कुमार के बांये पैर की जांघ में फ्रैक्चर एवं गम्भीर चोटें आयी अतः याची क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी है। अब प्रश्न यह हैं कि याची किस विपक्षी से और कितनी क्षतिपूर्ति पाने का अधिकारी है। चूँकि वाद बिन्दु संख्या २ नकारात्मक रूप से निर्णीत किये हैं और साक्ष्य के अभाव में यह सिद्ध नहीं हो सका है कि दुर्घटना के समय प्रश्नगत ट्रक सं. जी जे २३ वाई ०३३९ के चालक के पास उक्त ट्रक चलाने का वैध व प्रभावी ड्राईविंग लाइसेन्स था। अतः याची को क्षतिपूर्ति प्रदान करने का दायित्व प्रश्नगत ट्रक सं. जी जे २३ वाई ०३३९ के पंजीकृत स्वामी व चालक क्रमशः विपक्षी सं. १ राम सिंह गुर्जर व विपक्षी सं. २ महेन्द्र का है और विपक्षी सं. ३ चोला मण्डलम जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड का क्षतिपूर्ति धनराशि अदा करने का कोई उत्तरदायित्व नहीं बनता है।

१६. याची ने यह कथन किये हैं कि उसे ड्राइवर के रूप मे ₹ १५,००० तनख्वाह व ₹ ५,००० खान खर्चा मिलते थे। उसे दुर्घटना में आयी गम्भीर चोटों के कारण मेडिकल कॉलेज, झाँसी में भर्ती किया गया जहाँ इलाज सही न होने के कारण उसे दिनाँक २०.०६.२०१८ को शीला जैन मल्टी हॉस्पिटल, झाँसी में भर्ती कराया जहाँ हड्डी के डॉक्टरों ने उसके बांये पैर की जाँघ का ऑपरेशन करके रॉड डाली गयी और बांये पैर के घुटने के नीचे छिले हुये घाव की लगातार ड्रेसिंग चलती रही व दांये पैर के तलबे में जो घाव हुआ था उसका इलाज चलता रहा तथा दिनाँक २६.०६.२०१८ को डिस्चार्ज कर दिया गया। डिस्चार्ज के बाद उसे कई बार शीला जैन हॉस्पिटल में दिखाने जाना पड़ा जिसमें प्रत्येक बार जाने मे उसे ₹ २,००० से ₹ २,५०० व्यय करना पड़ा। घटना में आई चोटों की वजह से याची का बांया पैर बिल्कुल बेकार हो गया तथा वह भविष्य में कभी भी ट्रक नही चला पायेगा व याची के पैर में जो रॉड डाले गये थे उन्हें

ऑपरेशन करके निकाले जायेंगे। उक्त कथनों के समर्थन में ३४सी१ महारानी लक्ष्मी बाई मेडिकल कॉलेज, झाँसी का असल बेड हेड टिकिट, इंजरी रिपोर्ट की छाया प्रति, मेडिकल कॉलेज झाँसी की याची की एक्सरे रिपोर्ट व एक्स-रे प्लेट, शीला जैन मल्टी हॉस्पिटल, झाँसी की असल बी.एच.टी., असल पर्चे, तथा विभिन्न अन्य दवाओं के बिल, रसीदें आदि दाखिल किये गये हैं तथा याची ने अपने कथनों के समर्थन में पी.डब्लू.१ के रूप में साक्ष्य दी है। विपक्षी बीमा कम्पनी की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा बिलों क सत्यापन हेतु अन्वेषक आख्या ४४सी१ पत्रावली पर दाखिल की गयी है। उक्त अन्वेषक आख्या में अन्वेषक द्वारा याची के कुल ₹ १२,२८८ के बिलों को ही सत्यापित किया गया है। शेष बिलों को क्यों नही सत्यापित कराया गया इसका कोई कारण दर्शित नही किया गया है। याची की ओर से पत्रावली पर कुल ₹ ४६,१९३ के बिल व रसीदें दाखिल की गई हैं जिनके प्रति मेरे विचार से याची के नामे वाले **बिलों की धनराशि ₹ ३९,४२७** प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रकरण की समस्त परिस्थितियों में याची की इंजरी रिपोर्ट में वर्णित चोटों पर **मानसिक व शारीरिक कष्ट के लिए ₹ २०,०००; पुष्टाहार के लिये ₹ १०,०००;** याची का पैर पूरी तरह से टूट जाने के कारण वह कम से कम दो माह तक कार्य नही कर पाया होगा। याची ने अपनी आमदनी से संबंधित कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है। यहाँ तक कि उसने अपना ड्राइविग लाइसेंस भी नही प्रस्तुत किया है। अतः दो माह तक कार्य न कर पाने के लिए नोशनल **आय के नुकसान के मद मे ₹ १६५ x ६०=९,९००; सहायक पर हुए खर्च के मद मे ₹ ९,९००; इलाज के लिये आवागमन पर हुये व्यय के मद में ₹ ५,०००;** दिलाया जाना न्यायोचित समझता हूँ। इस प्रकार कुल मिलाकर याची **३९,४२७+२०,०००+१०,०००+९,९००+९,९००+५०००=९४,२२७** तथा इस धनराशि पर ब्याज ७.५ प्रतिशत साधारण वार्षिक की दर से याचिका प्रस्तुत करने के दिनांक से वास्तविक भुगतान के दिनाँक तक दिलाया जाना भी उचित होगा। तदनुसार वाद बिन्दु सं. ६ व ७ निर्णीत किये जाते हैं।

आदेश

याची की याचिका विपक्षी सं. १ राम सिंह गुर्जर व विपक्षी सं. २ महेन्द्र क्रमशः प्रश्नगत ट्रक के पंजीकृत स्वामी व चालक के विरुद्ध संयुक्त एवं प्रथक-प्रथक रूप से क्षतिपूर्ति धनराशि ₹ **९४,२२७ (चौरानबे हजार दो सौ सत्ताइस)** मय ७.५% साधारण वार्षिक ब्याज, याचिका प्रस्तुत करने की तिथि से वसूली की तिथि तक, के लिए आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। याची की याचिका विपक्षी सं. ३ के विरुद्ध अस्वीकार की जाती है। विपक्षी संख्या १ व २ को आदेशित किया जाता है कि वह याची को निर्णय के दिनाँक से ३० दिन के अंदर क्षतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण झाँसी के सिंडीकेट बैंक के खाता सं. 92352010008560 IFSC-SYNB0009235 में RTGS/NEFT के माध्यम से कर दें।

याची उक्त प्रतिकर की धनराशि जरिए आर.टी.जी.एस./नेफ्ट अपने बैंक खाते में नकद प्राप्त कर सकेगा।

तदनुसार एवार्ड तैयार हो।

दिनाँक १५.०१.२०२१

(चंद्रोदय कुमार)
मोटर दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण
झाँसी

यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवम् दिनॉकित कर खुले वर्चुअल न्यायालय मे उदघोषित किया गया।

दिनाँक १५.०१.२०२१

(चंद्रोदय कुमार)
मोटर दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण
झाँसी